न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 9.7..2020

मि.न 114/2020

सरकार बनाम बुद्धराम
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 157/4.71 है0 किस्म बंजड में से 0.005 है0 भूमि पर बुधराम पुत्र चेतराम जाति चमार निवासी सा0देह ने पक्की दिवार बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल उपस्थित नहीं आये । अतः गैर सायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट , पत्रावली में सलग्न दस्तावेज पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि वाके ग्राम नवलकुशालपुरा के खसरा नंबर 157/4.71है0 किस्म बंजड में से 0.005है भूमि पर गैर सायल का अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल बुधराम पुत्र चेतराम जाति चमार निवासी सा0देह तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 157/4.71है0 किस्म जमीन बंजड़ में से 0.005 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.15रू. का पचास गुणा 8रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को लिखा जावे निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 9.7..2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner